

न्यायालय-सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-12 / 2013
 संस्थित दिनांक-03.01.2013
 फाईलिंग क्र.234503002502013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

देवा उर्फ अनीश पिता महेश प्रसाद द्विवेदी उम्र-23 वर्ष,
 निवासी-ग्राम सिंगनपुरी, पोस्ट दमोह, थाना बिरसा,
 जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

----- **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-16/11/2015 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-05.12.2012 को 03:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल जिसका चेचीस नंबर एम.वी.एल. जे.ए-05 ई.जी.सी. 9 डी. इंजन नंबर जे.ए-05 ई.वी.सी. 9 डी 14621 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत मिथलेश को ठोस मारकर उसके पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-05.12.2012 को दिन के 3:30 बजे ग्राम दमोह, थाना बिरसा अंतर्गत फरियादी भीवराम का पुत्र आहत मिथलेश को आरोपी के द्वारा उसकी मोटरसाईकिल से टक्कर मारकर उसका पैर तोड़ दिया। उक्त घटना की फरियादी ने लिखित शिकायत थाना बिरसा में की, जिस पर पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-146/2012, धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी से वाहन मय दस्तावेज के जप्त कर मैकेनिकल परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान आहत

मिथलेश को अस्थिभंग होने की रिपोर्ट के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा-338 भा.द.वि. का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-05.12.2012 को 03:30 बजे आरक्षी केन्द्र बिरसा अंतर्गत ग्राम दमोह में लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल जिसका चेचीस नंबर एम.वी.एल.जे.ए-05 ई.जी.सी. 9 डी. इंजन नंबर जे.ए-05 ई.वी.सी. 9 डी 14621 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत मिथलेश को ठोस मारकर उसके पैर में अस्थिभंग कर उसे घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— सूचनाकर्ता भीवराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आहत मिथलेश उसका लड़का है। घटना के समय उसे उसके भाई शिवराम ने बताया कि मिथलेश का मोटरसाईकिल से एक्सीडेंट हो गया है। उसने आहत का ईलाज कराने शासकीय अस्पताल बिरसा ले गया और वापस आकर घटना की लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 थाना बिरसा में की। पुलिस ने उसकी शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लेख किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना में आहत मिथलेश का पैर टूट गया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण

में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा तथा घटना के समय आरोपी को वाहन चलाते हुए भी नहीं देखा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया उसे उसके भाई के बताने पर घटना की जानकारी प्राप्त हुई थी। इस प्रकार साक्षी ने मात्र मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

6— शिवराम (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसे घटना की जानकारी निशा और पंकज ने दी थी। उक्त दुर्घटना में उसके भतीजे के पैर में चोट आई थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी और दूसरों के बताए अनुसार घटना की जानकारी दे रहा है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना किसकी गलती से हुई वह नहीं बता सकता। इसी प्रकार सायत्रा बाई (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में फोन पर घटना की जानकारी होने के आधार पर कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस प्रकार उक्त साक्षीगण के कथन से अभियोजन को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

7— आहत मिथलेश (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में आरोपी की पहचान नहीं की है तथा यह बताया है कि घटना के समय एक मोटरसाईकिल तेज गति से आई और उसे टक्कर मार दी थी, जिससे उसका बाया पैर में फ्रैक्चर हो गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना किसके द्वारा कारित की गई थी, उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी के कथन से केवल इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय मोटरसाईकिल की टक्कर से उसे पैर में अस्थिभंग हो गया था।

8— मधुसुदन (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसने घटना समय दमोह आईसेक्ट स्कूल के सामने घटनास्थल पर भीड़ लगी हुई देखा था। उसे बाद में पता चला कि मोटरसाईकिल दुर्घटना में एक बच्चे को चोट आई है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय आरोपी ने अचानक मोटरसाईकिल से बच्चे को ठोस मार दिया था और उसने मौके पर आरोपी को देखा था। जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने आरोपी को मोटरसाईकिल चलाते हुए लाकर बच्चों को ठोस मारते हुए नहीं

देखा। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना की खबर सुनकर बहुत से लोग मौके पर इकट्ठा थे। आरोपी भी घटना की खबर सुनकर मौके पर गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गया था, इसलिए नहीं बता सकता कि दुर्घटना किस चीज हुई तथा वह लोगों के बताए अनुसार दुर्घटना के बारे में बता रहा है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है।

9— प्रतिमा कुजूर (अ.सा.9) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि घटना के समय आरोपी मोटरसाईकिल को सामान्य गति से चला रहा था। जबकि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उसने आरोपी को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभासी कथन करते हुए आरोपी को वाहन चलाते हुए न देखे जाने की स्वीकारोक्ति की है, जिससे उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत होती है। उक्त साक्षी के कथन से यह प्रकट होता है कि वास्तव में उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी, बल्कि साक्षी ने केवल दूसरों के बताए अनुसार अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना के बारे में जानकारी दी है।

10— आहत मिथलेश का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर हेमा बिसेन (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में बताया कि आहत मिथलेश की चोटों का परीक्षण करने पर उसे पैर, जांघ, होंठ व सिर में चोट खरोंचे आना पाई थी तथा पैर की चोट हेतु एक्सरे की सलाह दी थी। आहत मिथलेश का एक्सरे करने वाले चिकित्सक डॉक्टर डी.के. राउत (अ.सा.6) ने बताया कि आहत की एक्सरे कर उसकी एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर आहत के बाएं पैर में अस्थिभंग होना पाया था। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षीगण के कथन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय दुर्घटना के कारण आहत मिथलेश को घोर उपहति कारित हुई थी।

11— अब्दुल नसीम (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाईकिल के परीक्षण करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी के फौत होने से उसकी साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है।

12— प्रकरण में स्वयं आहत मिथलेश (अ.सा.4) व अन्य साक्षीगण भीवराम (अ.सा.1), शिवराम (अ.सा.2), सायत्राबाई (अ.सा.3) एवं मधुसुदन (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया कि वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण ने चक्षुदर्शी साक्षी होते हुए आरोपी की पहचान स्पष्ट रूप से अपनी साक्ष्य में नहीं की है और न ही स्वयं दुर्घटना होते हुए देखे जाने का समर्थन किया है। मात्र उक्त साक्षीगण ने या तो अनुश्रुत साक्षी के रूप में या घटना के पश्चात् पहुंचकर लोगों के बताए अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर अपनी साक्ष्य में कथन करते हुए अभियोजन कहानी का समर्थन किया है। अभियोजन के किसी भी साक्षी के द्वारा घटना के समय कथित दुर्घटना कारित वाहन को चालन करते हुए आरोपी को देखा नहीं गया है। ऐसी दशा में प्रकरण में दुर्घटना होना तथा दुर्घटना में उक्त आहत मिथलेश को घोर उपहति कारित होना प्रमाणित है, किन्तु यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि घटना के समय आरोपी के द्वारा ही दुर्घटना कारित वाहन मोटरसाईकिल का चालन किया जा रहा था। इस प्रकार आरोपी के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद प्रकट होता है।

13— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक व स्थान में आरोपी ने लोकमार्ग पर वाहन मोटरसाईकिल जिसका चेचीस नंबर एम.वी.एल.जे.ए-05 ई.जी.सी. 9 डी. इंजन नंबर जे.ए-05 ई.वी.सी. 9 डी 14621 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर, आहत मिथलेश को ठोस मारकर उसके पैर में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

14— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्पलेण्डर जिसका चेचीस नंबर एम.वी.एल.जे.ए-05 ई.जी.सी. 9 डी. इंजन नंबर जे.ए-05 ई.वी.सी. 9 डी 14621 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार चरणजीत सिंह पिता त्रिलोक सलूजा, तहसील बिरसा

जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान किया गया है, उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्ददार के पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट